न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2010 G.C.M.S. No. 2010/00061 दर्ज दिनांक : 26.05.2010

अपीलार्थिगण:

1. मांगीलाल पुत्र तेजराज
2. गोतमराज पुत्र तेजराज, जातिगण ओसवाल सेमलानी (महाजन) चाणोद वाला, निवासी मुंबई (बंबई) ठिकाना – विश्राम बिल्डिंग, 201, डॉ. महिमतुरा मार्ग, 5 फलॉर मुंबई–04

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. वरदा उर्फ वरदुसिंह पुत्र भोमा, जाति राजपूत
2. भैरा उर्फ भैरूसिंह पुत्र भोमा, जाति राजपूत
3. शिवनाथसिंह पुत्र भोमा, निवासीगण भाचुंदा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2007 बअनवान वरदा वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2009 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र मेवाडा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री मनीष, श्री नरतपसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2007 बअनवान वरदा वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने ग्राम भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर स्थित वर्तमान चालू सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 1813, 1814, 1821 से 1830 व 1838 कुल रकबा 16.99 हैक्टेयर जिसके पुराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 985 रकबा 104 बीघा 18 बिस्वा थें। जिस बाबत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट अपीलार्थीगण व रेस्पोंडेन्ट संख्या 04 के विरुद्ध योग्य अधीन न्यायालय में पेश किया। जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने स्वयं को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित करने व अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का अनुतोष चाहा। जो वाद योग्य अधीन न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलार्थीगण के विरुद्ध व

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर तथ्यों व विधि की भूल की हैं। चूंकि योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण को जवाब, सुनवाई, सबूत साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हनन किया। इसके साथ अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है। जो तथ्य वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 की प्रमाणित प्रतिलिपि से संदेह से परे प्रकट है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति त्वरित सन्दर्भ के लिये पेश की गई हैं। परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित कर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में उनके 1/2 हिस्सा खातेदारी से विधि विरुद्ध वंचित कर दिया। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण अपने 1/2 हिस्सा अनुसार हिस्सा अनुपात में मौके पर काबिज है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 व 188 के अंतर्गत वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची अनुसार सहायक कलक्टर को है, न कि उपखंड अधिकारी को। अतः योग्य उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना अधिकारिता तथा बिना योग्यता का है। इसकें अलावा रेस्पोंडेन्ट वरदा का प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.08.2008 अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के समर्थन में रेस्पोंडेन्ट वरदा अथवा अन्य किसी रेस्पोंडेन्ट भेरा या शिवनाथसिंह का शपथ–पत्र पेश नहीं किया। फिर भी योग्य अधीन न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट वरदा के प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित गलत तथ्यों के आधार पर दैनिक नवज्योति अखबार में नोटिस प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान कर योग्य अधिन न्यायालय ने विधिक भूल की है। अपीलार्थीगण के नाम सम्मन बाबत कायमी तनकियात दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित करने की स्वीकृति देने से पहले योग्य अधिन न्यायालय ने एक बार भी सम्मन बाबत् कायमी तनकीयात अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड पोस्ट ए/डी. से उनके सही पते पर भेजने का आदेश तक नहीं दिया। इसके अतिरिक्त सम्मन की प्रति अखबार में प्रकाशित करने प्रतिस्थापित तामिल कराने का आदेश देने से पहले योग्य अधिन न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 29.08.2008 में अपनी संतुष्टि तक अंकित नहीं की कि अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण सम्मन की तामिल से गुरेज करते हैं या सम्मन की तामील साधारण प्रकार से नहीं की जा सकती, अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण पर सम्न बाबत कायमी तनकीयात की प्रतिस्थापित तामिल करवाने के कोई कारण व आधार आदेशिका दिनांक 29.08.2008 में दर्ज नहीं किये व वादी वरदा का प्रार्थना–पत्र पेश होने पर उसे बिना किसी कारण व आधार व संतुष्टि के स्वीकार कर लिया व कानून को ताक में रखकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोंडेन्ट/वादी वरदा द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करते ही अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण पर सम्मन की प्रतिस्थापित तामिल दैनिक नवज्योति अखबार में सम्मन प्रकाशित करवाने का आदेश देकर विधिक भूल की हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.05.2010 को हुई, जब अपीलार्थी मांगीलाल वादग्रस्त भूमि की संवत 2064 से 2067 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति लेने हेतु पटवारी हल्का भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर के पास गया, तब पटवारी से सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उपरोक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1813, 1814, 1821 से 1830 व 1838 कुल रकबा 16.99 हैक्टेयर रेस्पोंडेन्ट वरदा, भैरा व शिवनाथसिंह के नाम दर्ज करने का निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर ने दिया है। जिस पर दिनांक 10.05.2010 को अपीलार्थी मांगीलाल उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय में आया और वहां तपास करने पर हल्का पटवारी भाचुन्दा द्वारा दी गई जानकारी सही पाई, तब अपीलार्थी मांगीलाल ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा पत्रावली की नकल प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र तारीख 10.05.2010 को ही पेश किया। जो प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां 10.05.2010 को प्राप्त हुई। दिनांक 09.05.2010 व 10.05.2010 से पूर्व अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं एवं मुकदमा योग्य उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर में लंबित होने की भी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थीं। जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए:–

1. 2016 RBJ 32
2. 2008 (2) RRT (SC) 1150
3. 1984 (AIR) 82
4. 1998 RRD 452
5. 2009-10 RRT (HC) 351
6. 2004 (1) RRT (HC) 1
7. 1997 (4) RBJ 386
8. 2006 (3) DNJ (HC) 1438

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

Scanned with OKEN Scanner

1. 1992 RRD 427, 608
2. 1994 RRD 620
3. 1995 RRD 340
4. 1995 DNJ 297

हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स वादीगण द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र दिनांक 04.12.2007 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2009 को पारित निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 25.05.2010 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की गई। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 3900/2016/पाली में पारित आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा निगरानी खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश को यथावत रखा गया।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम भाचुंदा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात हाल सेटलमेंट संवत 2037 के पूर्व पुराने खसरा संख्या 985 रकबा 104–18 बीघा बारानी प्रथम अकेले वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त में दर्ज थीं। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से लगातार चली आ रही थीं। वादग्रस्त भूमि में जागीर जब्त होते समय व काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय कीका पुत्र गमना व दला पुत्र गला का नाम गलत रूप से रेकर्ड में दर्ज हो गया था। दला पुत्र गला लाऔलाद फौत हो गया तथा कीका के पुत्र वीरका व हीरा ने वादीगण के पक्ष में वर्ष 1964 में लिखत निष्पादित की। जिसके आधार पर वादीगण का नाम अभिलेख में दर्ज हो गया। उक्त लिखत तत्कालीन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों तथा तत्कालीन सरपंच ने राज रिकॉर्ड के साथ रख ली तथा वापस नहीं लौटाई। वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Scanned with OKEN Scanner

1955 लागू होने के दिन से अर्थात संवत 2012 से लगातार चला आ रहा है। जिस कारण वादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गया है। वादीगण द्वारा बिगोड़ी व लगान आदि अदा की गई तथा वादीगण के नाम पासबुक दिनांक 31.01.1973 को जारी की गई। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, कब्जा प्राप्ति व स्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया। जो वाद संख्या 155/2002 दिनांक 09.05.2003 को न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित कर दिया गया।

3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण से समुचित तामील करवाए बिना, अपीलांट्स 20 वर्षो से मुंबई में निवासरत होने के बावजूद पंजीकृत डाक से सही पते पर सम्मन प्रेषित किए बिना अखबार प्रकाशन द्वारा तामील करवाई गई। जबकि नवज्योति अखबार का सर्कुलेशन मुंबई में नहीं होता है। अपीलांट्स के विरूद्ध गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलांट्स को साक्ष्य, जवाब व सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत वादपत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार तृतीय अनुसूची के अनुसार सहायक कलक्टर को है न कि उपखंड अधिकारी को। जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी द्वारा पारित की गई है, जो अधिकारिता से परे होने से काबिल अपास्त है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा एकपक्षीय डिक्री के प्रकरण में तामील के संबंध में अपील में लिए गए उज्र के संबंध में निवेदन किया कि ऐसा उज्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा उसी न्यायालय में लिया जा सकता है। तामील बाबत कोई आधार अपील में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक नजीर प्रस्तुत की गई हैं:–

a. 1992 RRD 427, 608

b.1994 RRD 620

c. 1995 RRD 340

हमने उपर्युक्त न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री के प्रकरण में तामील के संबंध में उज्र कानूनन उसी न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा लिया जा सकता है, अपील के स्तर पर उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। साथ ही अपीलांट्स के पूर्ववर्ती द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वादपत्र 3787 न्यायालय उपखंड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

बाली जो स्थानांतरित होकर न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 03.05.2003 को खारिज किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अपना पता गांव चाणोद ही अंकित किया गया। अतः सही पते के संबंध में अपीलांट्स का उज्र विश्वास योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट्स के उक्त उजरात स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. अपीलांट द्वारा धारा 88 व 188 के वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित किए जाने के आधार पर क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को आधार मानते हुए आक्षेप किया है तथा इस संबंध में अनुसूची तृतीय अनुसार केवल सहायक कलक्टर को ही क्षेत्राधिकार होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की वैधानिकता को चुनौती दी गई हैं, के संबंध में हमारे विनम्र मत में प्रथम तो उपखंड में पदस्थापित उपखंड अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सहायक कलक्टर से अभिप्रेत कार्यों के निष्पादन के लिए पदेन सहायक कलक्टर के रूप में अधिकृत होता है। इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.5 (11) राज–6/99/12 दिनांक 17.08.1999 में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त उपखंड अधिकारी प्रथमतया एवं मूलतः सहायक कलक्टर है तथा उपखंड अधिकारी सहायक कलक्टर की हैसियत से कार्य कर सकता है। अतः इस संबंध में अपीलांट द्वारा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार द्वारा किया गया आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6. अपील मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से अपीलांट प्रतिवादीगण की समुचित तामील नहीं होने, गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने तथा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को आधार मानते हुए इसी अनुरूप उज्र लिया गया है। इसके अतिरिक्त गुणावगुण के आधार पर कोई अन्य उज्र नहीं लिया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलमीमो में वर्णित आधारों पर ही बहस व निर्णयन किया जा सकता है। अपीलमीमो में दर्ज आधारों के अलावा अन्य आधारों पर न तो बहस की अनुमति दी जा सकती हैं तथा न ही निर्णय पारित किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 2 सीपीसी के विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया:–

1. 1995 DNJ 297

हमने उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में पारित अभिमत का ससम्मान अवलोकन किया तथा आदेश 41 नियम 2 सीपीसी का गहन अध्ययन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में समुचित तामील नहीं होने, गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही होने, न्यायालय के

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई गुणावगुण के आधार पर या साक्ष्य की ग्राह्यता/अग्राह्यता या विधिक आधार पर कोई उज्र नहीं लिया गया। अपीलांट्स द्वारा लिए गए उजरात के संबंध में विवेचन व निर्णयन पूर्व में किया जा चुका है। अतः अपीलमीमो में अभिलिखित आधार व उजरात के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी व विवेचन अपेक्षित नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं हुई हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट को खारिज किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2007 बअनवान वरदा वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2009 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner